महत्वपूर्ण एवं खास

आईटीआई कॉलेज के पीछे जुआ खेलते चार जुआरियों पकड़ाए

रायगढ़। थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक के.के. पटेल के नेतृत्व में दिनांक 10.01.2022 को आईटीआई कॉलेज के पीछे मैदान पर काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे जुआरियों पर सरिया पुलिस द्वारा जुआ रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 जुआरियान पकड़े गये हैं। दिनांक 10/01/2022 को थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल हमराह आरक्षक गोपाल कुमार डनसेना, दिलीप कुमार साहा, विपिन कुमार देहरी और अशोक कुमार पटेल के साथ शासकीय वाहन में टाउन पेट्रोलिंग किया जा रहा था। इसी दरम्यान उनि के.के. पटेल को मुखबिर से सूचना मिला कि आईटीआई कालेज सरिया के पीछे मरघटी के पास मैदान में कुछ जुवाडियान तास पत्ती से काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे है। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा स्टाफ के साथ घेराबंदी कर जुआ रेड कार्रवाई किया गया। पुलिस को आता देख कर कुछ जुवाडियान मौके से भाग गये मौके पर चार जुवाडियान (1) सुनील यादव पिता स्व0 लक्ष्मीनारायण यादव उम्र 34 वर्ष सा0 सरिया वार्ड क्र0 14 (2) अरूण सिदार पिता स्व0 पिताम्बर सिदार उम्र 25 वर्ष सा0 सरिया वार्ड क्र0 03 (3) रोशन कुमार प्रधान पिता मनबोध उम्र 28 वर्ष सा0 सरिया वार्ड क्र0 03 (4) प्रशांत दास पिता रसिक किशोर दास उम्र 36 वर्ष सा0 सरिया वार्ड क्र0 12 थाना सरिया जिला रायगढ़ पकड़े गये जिनके फड एवं पास से नगदी रकम 2,120 रूपये एवं 52 पत्ती तास की जप्ती की गई है। जुआरियों पर 13 जुआ एक्ट के तहत थाना सरिया में कार्रवाई की गई है।

केतुलनार में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या की

बीजापुर (आरएनएस)। जिल के कुटरू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केतुलनार में नक्सलियों ने बीती रात एक ग्रामीण जगत सोरी को मुखबिरी के आरोप में हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। कुटरू एसडीओपी अभिनव उपाध्याय ने ग्रामीण की हत्या की पुष्टि किया है। जिले में नक्सलियों का खूनी तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है, हाल के दिनों में नक्सलियों ने अपने साथी नक्सली मिलिशिया कमांडर पुनेम की हत्या कर दी थी, इसके बाद भैरमगड़ इलाके में 02 अन्य की हत्या किये जाने की पुष्टि नही हो पाई लेकिन स्थानिय लोगों के अनुसार नक्सलियों ने हत्या कर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब केतुलनार में नक्सलियों द्वारा एक ग्रामीण की हत्या कर आतंक का माहौल निर्मित करने में कामयाब हुए है।

जनसंचार विभाग के प्लेसमेंट में 6 विद्यार्थियों का चयन

रायपुर (आरएनएस)। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के समाज जनसंचार एवं समाज कार्य विभाग द्वारा 06 जनवरी 2022 एवं 08 जनवरी को कैम्पस प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व छात्रों के साथ ही नियमित विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। भोपाल की सामाजिक संस्था समर्थन (सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट) के द्वारा दुर्ग, कोंडागांव, बिजापुर, नारायणपुर, बस्तर , कांकेर एवं गरियाबंद हेतू क्लस्टर एवं ब्लॉक फेसिलेटर पद व इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए 31 छात्र-छात्राओं ने लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में भाग लिया गया। जिसमें क्लस्टर, ब्लॉक फेसिलेटर पद के लिए 6 विद्यार्थियों एवं 9 का इंटर्नशिप लिए हुआ है।

अधिक मरीजों वाले क्लस्टर की करें पहचान, कंटेनमेंट नियमों का सख्ती से हो पालन : कलेक्टर

» कलेक्टर भीम सिंह ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर सभी प्रशासकीय विभागों के कामकाज की समीक्षा की। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने संक्रमण के नियंत्रण के रोकथाम व उपचार हेतु जिले में की गई तैयारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि सीमावर्ती व विशेष रूप से रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से कोविड जांच होनी चाहिए। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के सहयोग हेतु पुलिस बल भी तैनात करने के निर्देश कलेक्टर सिंह ने दिए। जिले की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भी जांच करने के लिए उन्होंने सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी को निर्देशित किया।

कलेक्टर सिंह ने मरीजों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व निजी अस्पतालों में कोविड वार्ड शुरू करने के लिए कहा। गैर लक्षणात्मक ऐसे संक्रमितों जिनके लिए होम आईसोलेशन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है उनके लिए विकासखण्ड मुख्यालयों में आदिवासी विकास विभाग के छात्रावासों को क्वारेंटीन सेंटर बनाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शहर से लेकर गांवों तक अधिक मरीजों वाले क्लस्टर की पहचान की जाए। साथ ही सभी कंटेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करवाया जाए और इन क्षेत्रों का प्रशासनिक टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करें। उन्होंने मॉस्क जांच अभियान भी नियमित रूप से चलाने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में दिए। बैठक में उन्होंने 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के साथ फ्रन्ट लाईन व हेल्थ वर्कर्स तथा 60 वर्ष से अधिक को-मार्बिड लोगों के टीकाकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी पात्र लोगों को जल्द टीका लगवाने के लिए कहा तथा किशोरों के टीकाकरण के लक्ष्य को अगले एक हफ्ते में पूर्ण करने के निर्देश जिला टीकाकरण अधिकारी को दिए।

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर सिंह ने गौठानों में गोबर खरीदी व वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन की भी विकासखण्डवार समीक्षा की। उन्होंने सहकारी समितियों में वर्मी कम्पोस्ट का भंडारण करवाकर विक्रय के लिए निर्देशित किया। गौठानों में मल्टी एक्टीविटी सेंटर के प्रगति की भी उन्होंने जानकारी ली तथा ग्रामीण क्षेत्रों के परंपरागत व्यवसायों को भी गौठानों में जल्द शुरू करवाने के लिए कहा। इन परम्परागत उत्पादों के मार्केट लिंकेज की दिशा में काम करने के निर्देश उन्होंने प्रभारी अधिकारी को दिए। इसके साथ ही उन्होंने गौठानों में पैरादान की भी जानकारी ली। बताया गया कि लगभग सभी विकासखण्डों में सूखे चारे की व्यवस्था के लिए तेजी से पैरादान करवाया जा रहा है। उन्होंने लैलूंगा व धरमजयगढ़ में पैरादान बढ़ाने के लिए कहा।

कलेक्टर सिंह ने इस दौरान धान खरीदी व उठाव से जुड़े मुद्दों पर भी विभागीय अधिकारियों से अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने धान का उठाव व मिलिंग तेजी से करवाने के लिए कहा। बेमौसम हुई बारिश के मद्देनजर गौठानों में धान को सुरक्षित रूप से रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश उन्होंने उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं को दिए। लोक सेवा गारंटी से जुड़े लंबित प्रकरणों के निराकरण पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेते हुए जल्द सभी प्रकरणों को निराकृत करने के लिए निर्देशित किया।

स्वास्थ्य व महिला बाल विकास विभाग द्वारा पिछले दिनों जिले में गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच करवायी गयी थी। इस संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर सिंह ने गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों के बंद होने से कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती माताओं को गरम भोजन घर पहुंचाकर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सस्ती दवा दुकान संचालन की भी समीक्षा की और कहा कि सभी मेडिकल स्टोर्स में शासन द्वारा निर्धारित दवाओं का पूरा स्टॉक उपलब्ध होना चाहिए, जिससे आने वाले मरीजों को किफायती दरों पर दवाएं मिल सके।

धरमजयगढ़ विकासखण्ड के खलबोरा में चलाए जा रहे पावर्टी फ्री विलेज प्रोजेक्ट के प्रगति की भी गहन समीक्षा कलेक्टर सिंह ने समय-सीमा की बैठक में की। उन्होंने वहां विभिन्न विभागों के द्वारा शुरू की जा रही गतिविधियों के लिए हितग्राहियों का चयन, उनकी ट्रेनिंग, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, जरूरी निर्माण कार्यों जैसे बिन्दुओं पर विभागवार जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी विभाग जो गांव में हितग्राहियों का चयन कर उन्हें विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने जा रहे है वे अपना कार्य जल्द पूरा करें।

डॉयल 112 वाहन में मितानीन ने कराई गर्भवती महिला का प्रसव

» जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ्य

रायगढ़। दिनांक 11.01.2022 को थाना छाल अन्तर्गत ग्राम गंजाईपाली में रहने वाली महिला संगीता टोप्पो पति सुनील टोप्पो उम्र 40 वर्ष को लेबर पेन होने से घरवालों ने डॉयल 112 को मदद के लिये कॉल किया गया। शीघ्र ही छाल राइनो में कार्यरत आरक्षक बसंत लकड़ा थाना छाल वाहन चालक हरीश पटेल के साथ कॉलर से सम्पर्क कर ग्राम गंजाईपाली पहुंचे किन्तु कॉलर/गर्भवती महिला का घर स्टाप डैम के उस पार होने के कारण ईआरवी वाहन घर तक नहीं जा सकती थी। तब डॉयल 112 स्टाफ द्वारा घरवालों की मदद से महिला को खाट में लिटाकर करीब 02 किमी तक पैदल चलकर ईआरवी वाहन तक लाये जिसके बाद महिला को ईआवी वाहन में बिठाकर सीएचसी छाल पहुंचाने गंजाईपाली से निकले, रास्ते में महिला को असहनीय पीड़ा होते डॉयल 112 स्टाफ द्वारा वाहन को रोका गया जहां मितानीन द्वारा ईआरवी वाहन में बर्पादा महिला का प्रसव कराया गया, महिला द्वारा स्वस्थ्य बालक को जन्म दी है, जिसे तत्काल पुलिसकर्मियों द्वारा सीएचसी छाल ले जाकर भर्ती कराया गया, दोनों नवजात शिशु व महिला दोनों स्वस्थ्य है।

सारंगढ़ नगर पालिका निर्वाचन के 13 अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय लेखा नहीं हुआ है जमा

» नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्ययों का अंतिम लेखा 22 जनवरी तक करना होगा प्रस्तुत

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति)आदेश 2019 की कंडिका 7 के अनुसार नगरीय निकाय निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अर्थात 22 जनवरी 2022 तक निर्वाचन व्ययों का अंतिम लेखा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ के पास दाखिल करना अनिवार्य है। जिसमें उन्हें निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर (प्रोफार्म क), प्रोफार्मा-क में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित समस्त मूल व्हाउचर, निर्वाचन व्यय का सार विवरण (प्रोफार्मा-ख), शपथ पत्र (प्रोफार्मा-ग) एवं बैंक खाता स्टेटमेंट अद्यतन स्थिति में जमा करना होगा।

उपरोक्त समस्त दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा अभिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित किया जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि के अंदर दाखिल किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा छ.ग.नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ग/छ.ग.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग के अधीन निरर्हित किए जाने का प्रावधान है। अतएव अपना निर्वाचन व्यय लेखा नियत समयावधि में जमा कराना होगा। लेखा जमा नहीं किये जाने की स्थिति में होने वाली किसी भी कार्यवाही की संपूर्ण जवाबदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पाण्डेय ने बताया कि रायगढ़ के सभी 8 प्रत्याशियों का लेखा जमा हो गया है। सारंगढ़ के कुल 41 प्रत्याशियों में से 28 ने लेखा जमा किया है। 13 अभ्यर्थी का लेखा जमा होना शेष है। जिनमें वार्ड क्रमांक 1 से सीमा सुरेश रात्रे, वार्ड क्रमांक 2 से पूर्णिमा सम्मेलाल कुर्रे, वार्ड क्रमांक 4 से मयुरेश केशरवानी, वार्ड क्रमांक 5 से सत्या कंहार एवं श्रीमती शांति लक्ष्मण, वार्ड क्रमांक 6 से गणेश राम खर्रा, वार्ड क्रमांक 7 से अजय गोपाल यादव, वार्ड क्रमांक 9 से प्रभा सूरज तिवारी, वार्ड क्रमांक 11 से निलिमा सोना यादव एवं दंतेश्वरी विकास यादव, वार्ड क्रमांक 13 से चंद्रभान तिवारी गुरूजी एवं जितेन्द्र जीतू गुप्ता तथा वार्ड क्रमांक 15 से दूजबाई मनहर शामिल है।

अगले मंगलवार से मेडिकल कालेज में शुरू करें कोविड वार्ड : कलेक्टर सिंह

» कलेक्टर सिंह ने मेडिकल कालेज बिल्डिंग में कोविड वार्ड शुरू करने की तैयारियों का लिया जायजा

रायगढ़। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने मरीजों के उपचार के लिए व्यवस्थाओं की तैयारी तेज कर दी है। कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर जिले में सरकारी व निजी अस्पतालों में कोविड वार्ड तैयार किए जा रहे है। पिछली लहर के दौरान रायगढ़ मेडिकल कालेज में संचालित कोविड वार्ड को भी फिर से शुरू किया जा रहा है। इसी सिलसिले में कलेक्टर सिंह ने आज मेडिकल कालेज प्रबंधन, स्वास्थ्य व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मेडिकल कालेज का मुआयना किया और आगामी मंगलवार तक इसे मरीजों की भर्ती के लिए तैयार कर लेने के निर्देश दिए। बीते दिनों उन्होंने यहां निरीक्षण कर मेडिकल कालेज की शिफ्टिंग के लिए फ्लोर वाईस काम पूरे करने के निर्देश पीडब्लूडी को दिए थे। जिसके बाद उन्होंने फर्स्ट फ्लोर का काम पूरा कर लिया है जिसे अब कोविड वार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए कोविड प्रोटोकाल के अनुसार इलाज के लिए सारी आवश्यक तैयारियां अगले 7 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश कलेक्टर सिंह ने मेडिकल कालेज व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए है।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने मेडिकल कालेज भवन के प्रथम तल में किए गए सिविल व इलेक्ट्रीकल के साथ ऑक्सीजन सप्लाई से संबंधित कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल इस फ्लोर में पूरी साफ-सफाई व सेनेटाईजेशन करते हुए वार्ड को आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बेड किनारे लगे ऑक्सीजन पाईन्टस तक पाईप से ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था की जांच के लिए मेनीफोल्ड का ट्रायल रन करने के लिए भी निर्देशित किया। वेन्टीलेटर्स, बाईपेप, मल्टीपैरा व दूसरे तमाम मेडिकल उपकरणों को भी व्यवस्थित करने के लिए कहा। हास्पिटल में बाथरूम की पूरी साफ-सफाई के साथ नियमित रूप से वाटर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। कोविड हास्पिटल के प्रोटोकाल के अनुसार डोनिंग-डॉफिंग एरिया, माईक व इलेक्ट्रीक सिस्टम, सीसी टीवी आदि व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से दुरूस्त करने के लिए कहा। अस्पताल में इलाज के लिए लगने वाले डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड ब्वाय जैसे मैनपावर की तैनाती के लिए डीन मेडिकल कालेज व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े है, हालांकि पिछली लहर के मुकाबले अभी तक मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की दर कम ही रही है। लेकिन हमें किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए व्यवस्थाएं तैयार रखनी है। उन्होंने मेडिकल कालेज के कोविड वार्ड तैयार होते तक मरीजों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा निजी अस्पतालों में भी कोविड वार्ड तैयार रखने के लिए निर्देशित किया। फर्स्ट फ्लोर का काम पूरा होने के पश्चात उन्होंने पीडब्लूडी के अधिकारियों को मेडिकल कालेज के शेष निर्माण कार्यों को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा।

महिला के शिकायत पर पति व अन्य के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज

रायगढ़। थाना लैलूंगा के ग्राम राजपुर में रहने वाली श्रीमती रंजीता चौहान पिता स्व. धरनीधर चौहान स्थायी निवासी पतरापाली पूर्व कोतरलिया द्वारा दिनांक 10.01.2022 को थाना तमनार में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वर्ष 2013 में इसकी शादी सामाजिक रीति रिवाज से ग्राम गोढी थाना तमनार के सुनील चौहान पिता गजाधर प्रसाद चौहान से हुई थी। शादी के बाद पति प्रताडित करने लगा और दिसम्बर 2020 को मारपीट कर घर से भगा दिया। वर्ष 2020 में इसके हुण्डई क्रेटा कार को इसका पति अपने मामा उमेश कुमार चौहान निवासी किरोडीमल नगर रायगढ के पास गिरवी रखा दिया जिसके द्वारा कार का फाईनेन्स किस्ती नहीं पटा रहा है और ना ही गाडी इसे दे रहे हैं। बैंक से किस्त पटाने का दबाव आया तो अपने पति के निवास गोढी गई जहां पति गाली गलौच कर भगा दिया। महिला के लिखित आवेदन पत्र पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 498-ए, 407, 506, 34 आईपीसी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

आबकारी ने किया 23 लीटर अवैध शराब एवं 90 किलो ग्राम लाहन जब्त

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में अवैध शराब के भंडारण, बिक्री, परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु सहायक आयुक्त आबकारी को निर्देशित किया है। उक्त निर्देशन के परिपालन में जब आबकारी विभाग को कही भी अवैध शराब बिक्री या उसके निर्माण संबंधी कोई शिकायत मिल रही है तो उन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए संबंधित व्यक्ति को आबकारी अधिनियम के तहत जेल दाखिल कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने गत दिवस दो तीन आरोपी से 23 लीटर अवैध शराब एवं 90 किलो ग्राम शराब बनाने लाहन पकड़ा।

ग्राम डुमरपाली में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर आबकारी टीम ने सेत कुमार सतनामी के घर के आंगन की तलाशी में पैरा के नीचे छुपाकर रखा शराब बरामद किया। आरोपी ने आंगन में पैरा के नीचे एक बड़ी साईज की प्लास्टिक थैली में 20 लीटर अवैध शराब भर कर छुपा रखा था, जिसे आरक्षकों ने खोजकर तलाश कर लिया। मौके पर आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत अजमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को सी.जे.एम. न्यायालय, रायगढ़ से न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

इसी तरह धरमजयगढ़ के कोदवारी पारा में शराब बनाकर बेचने की जानकारी मिलने पर आबकारी टीम ने कोदवारी के दीपक बोरिहा के घर में प्लास्टिक बोरियों और डिब्बों में भरा हुआ 90 कि.ग्रा. शराब बनाने का लाहन जप्त किया। कोदवारी पारा में ही दोबारा शराब बनाकर बेचे जाने की सूचना मिलने पर टीम ने तुरंत वहां जाकर कार्यवाही करते हुए जुगरबाई चौहान को एक पीले जरीकेन में बेचने के लिए शराब रखे हुए पाया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही छाल कोयला क्षेत्र के खेदापाली गांव में शराब बिक्री की सूचना पर आबकारी टीम ने आरोपी मुरली साहू को शराब बेचते हुए रंगे हाथो पकड़ा। आरोपी से 03 लीटर शराब जप्त कर न्यायालय धरमजयगढ़ में चालान प्रस्तुत किया गया है।

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा व फूड कोर्ट रात्रि 11 बजे तक होंगे संचालित

» पूर्व में जारी आदेश में हुआ आंशिक संशोधन

» कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कोरोना वायरस एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर भीम सिंह द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया गया था। जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है।

जारी संशोधित आदेश के तहत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड कोर्ट रात्रि 11 बजे तक संचालित होंगे। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम, सर्व नायब तहसीलदार, सहायक उप निरीक्षक (पुलिस विभाग), राजस्व निरीक्षक (नगरीय प्रशासन), खाद्य निरीक्षक, मंडी इंस्पेक्टर एवं पंचायत सचिव अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

रायगढ़ जिला अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारेंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें, अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से बैठक आयोजित करें। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग कराना सुनिश्चित करें। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क/सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण करें। तत्पश्चात अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय करें। उल्लंघन किए जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 07762-223750 है।

निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर अपडेट करेंगे। रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा। शेष शर्ते यथावत रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480